न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 14/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/23

खुशबू पुत्री वेदप्रकाश निवासी चक 5 के ए तह. अनूपगढ़

–अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि "मेरे द्वारा चाही गई सूचना मेरे ओबीसी नॉन क्रिमीलियर श्रेणी सर्टिफिकेट के लिए पात्र हूं या नहीं के बारे में है। ये मेरे एग्जाम फार्म के लिए जरूरी है। इसलिए मैने जानकारी चाही हैं। मेरे द्वारा चाही गई सूचना को प्रश्नात्मक बताते हुए खारिज कर दिया गया। इससे मैं असंतुष्ट हूं।

अपील प्रकरण के संबंध में अधिनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़(प्रत्यर्थी) से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक/797 दिनांक 17.07.2023 के अनुसार **आवेदक द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक प्रकार की होने के कारण आवेदक द्वारा किया गया आवेदन खारिज किया गया हैं, अपील अपीलार्थी खारिज करने के लिए निवेदन किया हैं।**

आवेदक(अपीलार्थी) द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रत्यर्थी को प्रस्तुत कर निम्नलिखित सूचना दिये जाने हेतु आवेदन किया कि :–

"मेरे माता–पिता दोनों वर्तमान में अध्यापक 3 ग्रेड के पद पर कार्यरत है। मेरे पिता 01 जुलाई 1997 से और माता जी 29.09.2007 से इस पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में मेरे पिता जी पे स्केल एल 12 व माता जी पे स्केल एल 11 पर हैं। क्या मैं ओबीसी नॉन क्रिमीलियर श्रेणी सर्टिफिकेट के लिए पात्र हूं या नहीं प्लीज अतिशीघ्र जानकारी देने का कष्ट करें। मुझे अध्यापक कॉम्पीटिशन का फॉर्म भरना हैं।"

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना निम्न प्रकार से हैं :–

"आपके द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक प्रकार की हैं। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नात्मक प्रकार की सूचना देय नहीं होने के कारण आपके द्वारा किया गया आवेदन खारिज किया जाता है।"

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विश्लेषण करने के उपरान्त न्यायालय का यह निष्कर्ष हैं कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से क्या के रूप में प्रश्नात्मक सूचना चाही गयी हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक प्रकार की होने के कारण सूचना का अधिकार के तहत आवेदन खारिज किया गया हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना में प्रश्नों का उत्तर देना, किसी समस्याओं का समाधान करना अपेक्षित नहीं हैं। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र खारिज करने में काई भूल नहीं की हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:45 IST
Reason: SelfAttested